न्यायालय – सत्र न्यायालय, कैमूर (भभुआ)

सत्र वाद संख्या–204 / 2021

राज्य द्वारा मुन्ना यादव ––––– **सूचक**

बनाम्

राम गहन यादव एवं अन्य तीन ––––– **अभियुक्तगण**

18–12–2024 सभी चार अभियुक्तगण में से तीन राम गहन यादव, राम अवध यादव एवं नितिश यादव प्रतिनिधित्व पर है एवं शेष एक रामचेला यादव उपस्थित है। अभियोजन की हाजिरी है।

अभिलेख अभियोजन की ओर से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अन्तर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 01–12–2023 एवं अभियुक्तगण की ओर से दाखिल प्रत्युतर दिनांक 06–01–2024 पर आदेश पारित करने हेतु नियत है।

आदेश

1. अभियोजन की ओर से दाखिल आवेदन को प्रचालित करते हुए विद्वान लोक अभियोजक का कथन है कि प्रस्तुत सत्र वाद में अभियोजन साक्षी संख्या–1 सुलोचना देवी, अभियोजन साक्षी संख्या–2 मंजु देवी, अभियोजन साक्षी संख्या–3 मुन्ना यादव एवं अभियोजन साक्षी संख्या–4 नागेश्वर सिंह की मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा हो चुकी है। उक्त साक्षियों के अलावा वाद के जख्मी, चिकित्सक एवं अनुसंधानकर्त्ता का नाम आरोप–पत्र के साक्षी कॉलम में अनुसंधानकर्ता द्वारा अंकित नहीं किया गया है। परन्तु, इन साक्षियों का साक्ष्य किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अभियोजन की ओर से दाखिल आवेदन को स्वीकृत कर वाद के शेष साक्षियों का साक्ष्य लेने हेतु आदेश पारित करने की प्रार्थना की गयी।

2. अभियुक्तगण की ओर से दाखिल प्रत्युतर को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियोजन की ओर से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अन्तर्गत दाखिल आवेदन तथ्य एवं विधि की दृष्टि से पोषणीय नहीं है एवं सत्र वाद के निष्पादन में विलम्ब करने की मंशा है। अभियोजन की ओर से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अन्तर्गत दाखिल आवेदन न्याय एवं विधि की दृष्टि से खारिज होने योग्य है। बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन द्वारा दाखिल आवेदन को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी।

3. अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त सभी चारों साक्षियों को मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा के पश्चात् मुक्त किया गया। प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से दिनांक 01–12–2023 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अन्तर्गत एक आवेदन दाखिल कर वाद के जख्मी, चिकित्सक एवं अनुसंधानकर्त्ता का साक्ष्य किये जाने की प्रार्थना की गयी, जिसका अभियुक्तगण की ओर से विरोध किया गया है।

4. अतः प्रस्तुत मामले की वर्तमान सभी परिस्थितियों एवं तथ्यों को दृष्टिगत में रखते हुए अभियोजन की ओर से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अन्तर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 01–12–2023 को न्यायहित में **स्वीकृत** करते हुए आवेदन में उपरोक्त वर्णित साक्षियों के साक्ष्य हेतु अभियोजन को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वर्णित साक्षियों को अपने स्तर से साक्ष्य हेतु न्यायालय में प्रस्तुत करें।

5. दिनांक 24–01–2025 को साक्ष्य हेतु।

(लेखापित)

ह0/–

सत्र न्यायाधीश